



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062021-227648
CG-DL-E-16062021-227648

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 331]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 16, 2021/ज्येष्ठ 26, 1943

No. 331]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 16, 2021/JYAISHTHA 26, 1943

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2021

सा.का.नि. 415(अ).—केन्द्रीय सरकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 22क की उपधारा (1), लागत और संकर्म लेखपाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 22क और कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 22क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि.835(अ), तारीख 3 नवंबर, 2015 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्यांक (6) के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

“श्री (सी.एम.ए) अविजीत गोस्वामी

सदस्य”

लागत लेखपाल,

औरा बाइ दी लेक, फ्लैट संख्या 1बी, 58/1,

सुरेन सरकार मार्ग, डाक-बेलेघाटा,

कोलकाता-700010।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. 12/15/2007-पीआई भाग-III]

मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, संख्यांक सा.का.नि.835(अ), तारीख 3 नवंबर, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् सा.का.नि.संख्या 1130(अ) तारीख 13 दिसम्बर 2016, सा.का.नि. संख्या 171(अ), तारीख 1 मार्च 2019, सा.का.नि. 413(अ) तारीख 10 जून 2019 और सा.का.नि. 408(अ) तारीख 15 जून 2021 द्वारा उसमें संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2021

G.S.R. 415(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22A of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), section 22A of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959) and section 22A of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Corporate Affairs, *vide* number G.S.R. 835(E), dated the 3rd November, 2015, namely:-

In the said notification, in paragraph 1, against serial number (6), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

“ Shri (CMA) Avijit Goswami, - Member”
Cost Accountant,
Aura by the Lake", Flat No. 1B, 58/1,
Suren Sarkar Road, P.O. Belegkata,
Kolkata-700010.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F.No.12/15/2007-PI Vol.III]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 835(E), dated the 3rd November, 2015 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 1130(E), dated the 13th December, 2016, G.S.R. 171(E), dated the 1st March, 2019, G.S.R. 413(E), dated the 10th June, 2019 and G.S.R. 408(E), dated the 15th June, 2021.